रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 381]	नई दिल्ली, बुधवार, जून 6, 2018/ज्येष्ठ 16, 1940
No. 381]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 6 , 2018/JYAISTHA 16, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2018

सा.का.नि. 529(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण (आशुलिपिक श्रेणी II और आशुलिपिक श्रेणी III) भर्ती नियम, 1989 को,जहां तक उनका संबंध आशुलिपिक श्रेणी II के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण में आशुलिपिक श्रेणी I के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, आशुलिपिक श्रेणी I, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2018 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं, आदि.- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताः —वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति. —जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति. — इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आशुलिपिक श्रेणी-I	09* (2018) ** कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर –6 (35400-112400 रू).	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके	प्रोन्नति: — वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श

	लिए दो वर्ष.	न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है); और (ii) 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	81100 रू) में ऐसे आशुलिपिक श्रेणीII जिन्होंने उस स्तर में दस वर्ष की नियमित सेवा की है और सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, से संबंधित क्षेत्रों में दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है । टिप्पण.— (1) जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। 2. प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है:- केन्द्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे आशुलिपिक जो– (क) (i) जिन्होंने मूलकाडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पदधारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूलकाडर या विभाग में आशुलिपिक श्रेणी II, वेतन मैट्रिक्स	में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) निदेशक, भारतीय प्राणीविज्ञान सर्वेक्षण-, कोलकाता – अध्यक्ष; (2) कार्यालय का प्रधान, (भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण), कोलकाता – सदस्य; (3) कार्यालय का प्रधान, (भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण), कोलकाता – सदस्य।	करना आवश्यक नहीं है।

			के स्तर-4 (25,500-81,100/-रू) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की है। टिप्पण 1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालीन संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3:- अल्पकालीन संविदा सहित प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालीन संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा.सं. 02/03/2012-सीएसजेड]

मंजु पाण्डे, संयुक्त सचिव (संरक्षण और सर्वेक्षण)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2018

G. S. R. 529(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Zoological Survey of India (Stenographer Grade II and Stenographer Grade III) Recruitment Rules, 1989, in so far as they relate to the post of Stenographer Grade II, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade I in the Ministry of Environment, Forest And Climate Change, Zoological Survey of India, namely:-

1. Short title commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Zoological Survey of India, Stenographer Grade I, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix – The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Stenographer Grade I.	09 *(2018) Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group- 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-6 (Rs. 35,400-1, 12,400/-) in the pay matrix.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for promotees.	(i) Fifty percent by promotion failing which by deputation (including short – term contract); and (ii) Fifty percent by deputation (including short- terms contract).	Promotion: Stenographer Grade II in level – 4 (Rs. 25,500-81,100/-) in the pay matrix with ten years' regular service in the grade and have successfully completed mandatory training of 2-4 weeks in the relevant area from the Institute of Secretariat and Training Management, DoPT. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. 2. Deputation including short-term contract (ISTC):- Stenographers under the Centre Government or State Government or Union territories or Recognised Research Institutions or Universities or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous organisations,- (a) (i)holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) Stenographer Grade II in level -4 (Rs. 25,500-81,100/-) in the pay matrix with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre or Department. Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation including short-term contract including period of deputation	Group 'B' Department Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1.Director, Zoological Survey of India, Kolkata - Chairman; 2. Head of Office, Zoological Survey of India, Kolkata-Member; 3. Head of Office, Botanical Survey of India, Kolkata-Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

			including short-term contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note3: The maximum age limit for appointment by deputation including short-term contract (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 02/03/2012-CSZ]

MANJU PANDEY, Jt. Secy. (Conservation and Survey)

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.06.07 19:32:03 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.